

# परिक्षेत्रीय कार्यालय, परिक्षेत्र बस्ती



## प्रेस नोट

### दिनांक – 30-11-2025

#### ■ डीआईजी बस्ती द्वारा थाना कोतवाली, थाना लालगंज व साइबर सेल/थाना के संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार 06 अभियुक्तों के सम्बंध में की गयी प्रेस वार्ता।

आज दिनांक 30.11.2025 को श्री संजीव त्यागी पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा श्रीअभिनन्दन पुलिस अधीक्षक बस्ती के साथ पुलिस लाइन बस्ती के सभागार में थाना कोतवाली, थाना लालगंज व साइबर सेल/थाना बस्ती के संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार किये गये कुल 06 अभियुक्तों के सम्बंध में प्रेस वार्ता की गयी।

डीआईजी बस्ती द्वारा बताया गया कि थाना कोतवाली बस्ती पर मु0अ0सं0 453/2025 धारा 34, 419, 420, 506 IPC व 66डी आई0टी0 एक्ट, थाना लालगंज बस्ती पर मु0अ0स0 312/2025 धारा 3(5), 318(4), 319(2), 351(3) बीएनएस व 66D IT ACT तथा थाना सोनहा बस्ती पर मु0अ0सं0 285/2025 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 111, 351(3) BNS व 66D IT एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, जिसके क्रम में आज 06 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी सुनिश्चित की गयी है।

#### अभियुक्तगण के अपराध कारित करने का तरीका-

**थाना कोतवाली-** अभियुक्तगण द्वारा आम जनमानस को इन्वेस्टिगेशन ट्रेडिंग में लाभ मिलने का ज्ञांसा देकर उनके खातों का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों से साइबर ठगी कर उससे अर्जित धन को प्राप्त करने हेतु किया गया है।

**थाना लालगंज-** अभियुक्तगण द्वारा बैंक कर्मचारी की मदद से वादी व आम जनमानस को एक्सिस बैंक में फ्री में बैंक खाता खोलने का ज्ञांसा देकर बैंक नये खाते खुलवाये गये है जिसमें अभियुक्तों द्वारा फर्जी / प्री एक्टीवेटेड सिम कार्ड को लिंक कराया गया, खाते पर जारी एटीएम कार्ड चेक बुक आदि को अपने पास रखकर उन खातों का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित जगहों से साइबर अपराध कारित कर उनसे अर्जित धन को प्राप्त करने हेतु किया गया है।

**थाना सोनहा-** अभियुक्तगण द्वारा गांव गांव धूमकर आम भोली भाली जनता को सरकारी योजना में धन मिलने का लालच देकर बैंक खाते खुलवाये गये, तथा उन सभी बैंक खातों का प्रयोग देश के विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित जगहों से साइबर अपराध कारित कर उनसे अर्जित धन को प्राप्त करने हेतु किया गया है।

उपरोक्त तीनों प्रकरण में अब तक 06 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है, प्राथमिक रूप से तीनों प्रकरण में अब तक 38 बैंक खाते प्रकाश में आये हैं, जिनपर देश के विभिन्न राज्यों से कुल 74 से भी अधिक शिकायतें दर्ज हैं, दर्ज शिकायतों के सापेक्ष अबतक कुल 4,49,61,225(चार करोड़ उन्चास लाख इक्सठ हजार दो सौ पच्चीस) रूपयों की साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। प्रकरण से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण- (सम्बन्धित थाना लालगंज)

- सुजीत चौधरी पुत्र हरिप्रसाद चौधरी साकिन मकदूमपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती उम्र करीब 25 वर्ष।
- निषेन्द्र चौधरी पुत्र रामविलास उर्फ रामनेवास साकिन डिडिया थाना लालगंज जनपद बस्ती उम्र करीब 23 वर्ष।
- रामनाथ चौहान पुत्र रमेश चौहान साकिन महथा थाना लालगंज जनपद बस्ती उम्र करीब 28 वर्ष। (सम्बन्धित थाना कोतवाली)
- अश्विनी पाठक पुत्र विनोद पाठक साकिन गोविन्दपारा थाना कस्तानगंज जनपद बस्ती उम्र 25 वर्ष करीब।
- निखिल त्रिपाठी पुत्र अखिलेश त्रिपाठी साकिन नरायनपुर तिवारी थाना हैरैया जनपद बस्ती उम्र 22 वर्ष।
- प्रशान्त मिश्रा पुत्र बृहस्पति मिश्रा साकिन बिहरा खास थाना हैरैया जनपद बस्ती उम्र करीब 22 वर्ष।

# परिक्षेत्रीय कार्यालय,

## परिक्षेत्र बस्ती



## प्रेस नोट

## दिनांक – 30-11-2025

### गिरफ्तारी का स्थान व समय-

- थाना कोतवाली से संबंधित 03 अभियुक्त को रोडवेज से, समय करीब 09 बजे
- थाना लालगंज से संबंधित अभियुक्त को मथौली छठ घाट पोखरे के पास, समय करीब 08.10 बजे

### बरामदगी का विवरण-

- एक अदद पासबुक इण्डन बैंक खाताधारक प्रिंस चौधरी
- अदद मोबाइल
- 650/रुपया नकद

**घटना का सक्षिस विवरण-** उल्लिखित है कि साइबर अपराध में प्रयुक्त म्यूल खातों के सत्यापन के क्रम में जनपद बस्ती के केस 1- वादी श्री प्रिन्स चौधरी पुत्र श्री प्रहलाद चौधरी निरोग्राम डिडौहा थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी गयी कि दिनांक 06.02.2024 प्रार्थी के खाते व उनके मित्र शिवा मोदनवाल पुत्र सन्तोष कुमार निवासी शिवनगर तुकहिया पोस्ट गांधीनगर के खाते को इन्वेस्टिमेन्ट ट्रेडिंग पर कमीशन दिलाने के नाम पर अभियुक्तगण द्वारा उनके खाते से संबंधित समस्त जानकारी जैसे खाता सख्ता, आईएफएससी कोड, यूपीआई आई0डी0, क्यूआर स्कैनर प्राप्त कर उनके व उनके मित्र शिवा के खाते का दुरुपयोग साइबर फ्रॉड के पैसों के लिये किया गया। खाता होल्ड होने से कुछ दिन पहले अश्वनी व निखिल के द्वारा उनके खाते में क्रमशः 1000 व 200 कुल 1200 रुपया डाला गया था, प्रार्थी ने यूपी0 112 पर फोन कर पुलिस बुलाने की बात कही तो इन लोगों ने प्रार्थी का कॉलर पकड़ लिया और धमकी देने लगे कि पुलिस के पास जाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर दिनांक 27.11.2025 को मु0आ0सं0 453/2025 धारा 34, 419, 420, 506 IPC व 66डी आई0टी0 एक पंजीकृत किया गया।

**केस 02-** दिनांक 27.11.2025 को वादी श्री दिनेश कुमार पुत्र धनुषधारी ग्राम मथौली पोस्ट डरबलिया थाना लालगंज जनपद बस्ती द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराया गया कि अभियुक्तगण व उनके सहयोगी द्वारा वादी व वादी के दोस्त अजय कुमार पुत्र रामसहाय निवासी पंखोबारी थाना लालगंज बस्ती व पवन कुमार विश्वकर्मा पुत्र धनश्याम विश्वकर्मा निवासी सजना खोर थाना लालगंज बस्ती का एक्सिस बैंक में फ्री खाता खुलावाकर चेक बुक, एटीएम, पासबुक सब कुछ फ्री में देने की बात बतायी गयी। इसी बात पर विश्वास कर वादी द्वारा वादी के मित्रों द्वारा निपेन्द्र के सीएचसी जो देईसाइ में है, वहाँ पर खाता खुलावाया, खाता खुलने के बाद वादी तथा वादी के दोस्तों द्वारा खाता नम्बर, पासबुक, चेकबुक माँगा गया तो सुजीत और निपेन्द्र द्वारा कहा गया कि जब खाता चालू होगा, तब मिलेगा। फिर कुछ दिन बाद वादी तथा पवन विश्वकर्मा बस्ती एक्सिस बैंक के ब्रांच पर जाकर हरिअम दूबे से अपने खाते का पासबुक, चेक बुक और एटीएम कार्ड माँगने पर खाता नं0 की मांग की गयी जो ना होने की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा धमकी देते हुए जो करना है कर लो कहते हुए धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0आ0सं0 312/2025 धारा 3(5), 318(4), 319(2), 351(3) BNS व 66D IT ACT पंजीकृत किया गया।

**केस 03-** थाना सोनहा पर दिनांक 27.11.2025 को वादी रमेश मौर्या पुत्र स्व0 छटंकी मौर्या निवासी ग्राम कनेथू बुजुर्ग थाना सोनहा जनपद बस्ती द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराया गया कि बावत विपक्षीगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आवेदक व गांव अन्य लोगों को मा0 प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी जी की योजना बताकर झांसे में लेकर बैंक खाता खुलावाकर एटीएम, पासबुक व अन्य प्रपत्र आदि अपने पास रख कर साइबर फ्राड करना, एटीएम व पासबुक आदि माँगने पर जान से मारने की धमकी दिया गया। इस आधार पर मु0आ0सं0 285/2025 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 111, 351(3) BNS व 66 D आईटी एक पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्र0नि0 कोतवाली दिनेश चन्द्र चौधरी, जनपद बस्ती मय टीम।
- प्र0नि0 लालगंज संजय कुमार, जनपद बस्ती मय टीम।
- प्र0नि0 साइबर थाना कुलदीप त्रिपाठी, जनपद बस्ती मय टीम। 04 प्रभारी साइबर सेल 30नि0 शेषनाथ गौड़, जनपद बस्ती मय टीम।

**मीडिया सेल**  
**परिक्षेत्र बस्ती**